(160) (161)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः- श्री एस0एस0अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक तीन/निग./अशोकनगर/2018/भू.रा./1314 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22.12.2017 के द्वारा कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 41/स्व.निग./2005-06

अंगूरी बाई पुत्री श्री शिवचरण ब्राहम्ण
निवासी- ग्राम करमसी तहसील व जिला - अशोकनगर (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

-- अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदक
श्री राजीव शर्मा शासकीय अभिभाषक ---- अनावेदक

आदेश

(आदेश दिनांक 18/4/19 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/स्व.निग./2005-06 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2017 के विरूद्ध राजस्व पुस्तक परिपत्र चार(3) की कण्डिका 30 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदिका ग्राम करमसी तहसील व जिला अशोकनगर की भूमिहीन महिला है। और उसका शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 40 रकवा 0.836 है0 पर कब्जा वर्ष 1984 के पूर्व से निरन्तर चला आ रहा था। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार अशोकनगर द्वारा विधिवत् रूप से आदेश

दिनांक 14.10.1993 से भूमि का व्यवस्थापन आवेदिका के हित में म.प्र. कृषि प्रयोजनो के लिये दखल रहित भूमि का भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के तहत् किया गया था। इस प्रकरण की जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आदेश दिनांक 17.04.2000 पारित कर नायब तहसीलदार कर व्यवस्थापन आदेश दिनांक 14.10.1993 निरस्त कर दिया गया इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका की ओर से निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर को प्रकरण क्रमांक 129/2002–03 प्रस्तुत की गयी थी जो पारित आदेश दिनांक 04.07.2003 को स्वीकार कर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 17.04.2000 निरस्त कर प्रकरण कलेक्टर गुना को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार (3) के प्रावधानो के अनरूप प्रकरण का परीक्षण कर आवेदिका को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देकर प्रकरण में विधि संगत आदेश पारित करें। इस आदेश के पश्चात् कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण में कार्यवाही की जाकर आदेश दिनांक 27.12.2017 पारित कर नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश 14.10.1993 निरस्त कर भूमि को शासकीय घोषित किये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने गये तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि बादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1993 से कब्जा चले आने के आधार पर किया गया है, एवं इसी भूमि से आवेदिका का भरण पोषण होता है, भूमि व्यवस्थापन एवं बंटन की कार्यवाही भू–राजस्व संहिता में न की जाकर राजस्व पुस्तक परिपत्र में विहित शासन के निर्देशो के अनुरूप की गयी है एवं म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र चार (3) की कण्डिका 30 में निगरानी के प्रावधान है जिसमें निगरानी सुने जाने की अधिकारिता है। कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा व्यवस्थापन आदेश दिनांक 14.10.1993 को 24 वर्ष बाद निरस्त किया है। जबकि वर्ष 1993 से भूमि व्यवस्थापन होने के बाद आवेदिका ने उन्नत कृषि के उद्देश्य से भूमि में कार्य किया है। तथा उसे कृषि उपयोगी बनाने में काफी धन एवं श्रम खर्च किया है। यदि आवेदिका से 24 वर्ष बाद भूमि वापिस ली जाकर शासकीय की जाती है तब ऐसी स्थिति में आवेदिका का भरण पोषण में व्यवधान आयेगा इसी आधार पर वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– म.प्र. शासन कि ओर से शासकीय अभिभाषक द्वारा तर्क किया गया कि आवेदिका भूमिहीन की श्रेणी में नही आती। ऐसी स्थिति उसे राजस्व पुस्तक परिपत्र अथवा विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने की पात्रता नही है। आवेदिका को सूचना सुनवाई

का समुचित अवसर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा दिया गया है, एवं भूमि अपात्र व्यक्ति को व्यवस्थापित होना पाकर व्यवस्थापन निरस्त किया गया है, इसलिये वर्तमान निगरानी निरस्त करने की मांग की गयी।

उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला अशोकनगर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 14.10.1993 आवेदिका के हित में भूमि व्यवस्थापन के संबंध में पारित किया है, जिसे कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा स्वमेव निगरानी में लेकर इस आधार पर निरस्त किया है, कि प्रकरण में विधिवत् रूप से उद्घोषण नहीं की गयी ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं दिया गया तथा शासकीय भूमि का रकवा बड़ा भू–भाग है, एवं कब्जा निर्धारित अवधि का नहीं है जबकि कलेक्टर अशोकनगर के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा निगरानी किये जाने पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2003 में स्पष्ट किया गया है कि कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा आवेदिका को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है, इसलिये उपरोक्त आदेश को अपर आयुक्त द्वारा निरस्त किया गया। इसके पश्चात् प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर को प्रत्यावर्तित किया था कि वह विधि अनुसार प्रकरण का निराकरण गुण दोषो पर करे। किन्तु कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा उक्त प्रकरण का निराकरण विधिवत् नहीं किया गया क्योंकि वर्तमान प्रकरण में इस्तहार का विधिवत् प्रकाशन किया गया तथा आपत्तियां आमंत्रित की गयी

थी। इसके पश्चात् पूर्व कब्जे के अनुसार आवेदिका की पात्रता की विधिवत् जांच कर व्यवस्थापन आदेश दिनांक 14.10.1993 जारी किया गया था तब से आवेदिका का उपरोक्त भूमि पर विधिवत् कब्जा है तथा कृषि कार्य किया जा रहा है यही भूमि आवेदिका के परिवार की भरण पोषण का मुख्य साधन है।

प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 14.10.1993 से आवेदिका को ग्राम कमरसी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 40 में से रकवा 0.836 है0 का व्यवस्थापन किया गया है, जिसे कलेक्टर जिला अशोकनगर ने आदेश दिनांक 27.12.2017 से अर्थात् 24 वर्ष बाद उपरान्त निरस्त किया है।

1 गुजरात राज्य विरुद्ध पटेल राघव ए.आई.आर 1969 पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गय है तब विलंब से किया गया स्वमेव पुनरीक्षण अवैध है।

2 रणवीर सिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य 2010 (3) जे.एल. जे 77 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत दिया है कि 180 दिवस के बाद स्वमेव निगरानी की शक्तियो का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

3 इन्दर सिंह तथा अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य 2009 आर.एन 251 में अभिमत है कि भूमि का आवंटन किया गया सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती प्रशासनिक अधिकारियो द्वारा की गयी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण भूमिहीन आवंटन धारियो

को भूमि के आवंटन के लाभ से वंचित नही किया जा सकता।

4 देवी प्रसाद विरूद्ध नाके जे.एल.जे. 155, 1975 आर.एन. 67, 1975 आर.एन. 208 में अभिनिर्धारित है, कि भूमि का आवंटन 5 वर्ष पूर्व किया गया आवंटित को भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त तत्पश्चात् आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता। उक्त न्यायदृष्टांतो के प्रकाश में कलेक्टर अशोकनगर का आदेश 27.12.2017 निरस्त किये जाने योग्य है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/स्व.निग./2005-06 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2017 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं नायब तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/अ-19/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 14.10.1993 स्थिर रखा जाता है, निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर